

डॉ. गर्ग ने पानी की समस्या का निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए

मंत्री ने लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की

भरतपुर 16 अप्रैल। पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने जूनून के दौरे के दौरान शहर के पर्यटन नगर और विजय नगर कॉलोनी में पानी की समस्या की शिकायत के लिए स्थानीय लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अन्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास एवं समस्याओं पर चर्चा की।

विधायक डॉ. गर्ग ने जूनून के तीसरे दिन मंहगाया, नौह, नगला गोपाल, नौगाया, हथैनी, इकरन, नगला परशुराम, जाट मंडौली सहित शहरी क्षेत्र के विजय नगर, सारं नगर, सारस सहित अन्य क्षेत्रों में प्रवेश द्वारों की यात्रा की। साथ ही वे



पूर्व मंत्री व जूनून विधायक डॉ. सुभाष गर्ग ने क्षेत्र का दौरा कर लोगों के दुख दर्द जाने।

लोगों के दुख-दर्द भी शामिल हैं।

इंटरव्यू नगर और विजय नगर

कॉलोनी के लोगों ने पानी की समस्या

से परेशान होकर कहा। जिस पर डॉ.

गर्ग ने जलदाय विभाग के

- गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल लगाने के लिए निर्देशित किया।**

अधिकारियों को एमओयू पर क्रिएटर की पोस्ट के बारे में जानकारी ली और गर्मी के मौसम को देखते हुए नोएडा पानी की समस्या से संबंधित क्षेत्र में टचयूबेल पत्रिका के लिए निर्देशित किया। इसके अलावा डॉ. गर्ग ने विभिन्न वास्तुशिल्प कार्यक्रमों में नव दंपतियों और उनके भव्य कोमों को स्थापित किया।

जैन संतों पर हमला, कठोर कार्यवाही करने की मांग

हमले की घटना से सम्पूर्ण भारत वर्ष के जैन संतों में एवं जैन

धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश है

भीलवाड़ा। मध्यप्रदेश मे जैन संतों पर हुए हमले व हमलावरों द्वारा संतों के साथ अमानवीय कृत्य करने के विरोध में जैन समाज के सदस्यों जैन कॉंफ्रेंस राजस्थान के अध्यक्ष आनंद चपलोट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने की माँग की। ज्ञापन मे बताया की मध्यप्रदेश के सिंगोली के पास कछाला बस स्ट्रेण्ड के आगे हनुमान मन्दिर पर जैन संत बलभद्र मुनि, शैलेश मुनि, मुनीन्द्र मुनि रात्रि

विश्राम हेतु रुके हुए थे देर रात्रि मे असामाजिक तत्वों द्वारा जानलेवा हमले का प्रयास करते हुए मारपीट की गई। जिससे संतों का गहरी चोटें पहुँची हैं, इस घटना से सम्पूर्ण भारत वर्ष के जैन संतों में एवं जैन धर्मावलंबियों में भारी आक्रोश है तथा इस घटना से समूचा जैन समाज उद्धेलित हैं इस घटना के बाद जैन समाज की ओर से थाने एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारियां हुई व अपराधियों मे भय बना रहे, इसलिए

उनको आम जनता के बीच पुलिस निगरानी में घुमाया गया है, परन्तु जैन समाज इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है एवं इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने हेतु आठाह करें, जिससे जैन समाज में उपजे असंतोष को न्याय मिल सके इस अवसर पर जैन कॉंफ्रेंस राजस्थान अध्यक्ष आनंद चपलोट, अनुराग नाहर, पंकज मेड़तवाल, अर्पित कोठारी, हेमंत बाबेल, जीतू कटेड, अर्पित चौधरी, राजेश पौपडा आदि उपस्थित थे।

कि इस घटना पर राजस्थान सरकार द्वारा मध्यप्रदेश शासन को अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने एवं इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने हेतु आठाह करें, जिससे जैन समाज में उपजे असंतोष को न्याय मिल सके इस अवसर पर जैन कॉंफ्रेंस राजस्थान अध्यक्ष आनंद चपलोट, अनुराग नाहर, पंकज मेड़तवाल, अर्पित कोठारी, हेमंत बाबेल, जीतू कटेड, अर्पित चौधरी, राजेश पौपडा आदि उपस्थित थे।

अगले तीन दिन तक पारा बढ़ने की चेतावनी

बीकानेर। अगले तीन दिन तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम शुष्क रहने की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने बीकानेर में पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका जताई है। कुछ स्थानो 'पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान में तापमान में फिलहाल 19 अप्रैल तक कोई खास राहत की उम्मीद नहीं की जा रही है। नसिर्फ दिन में बल्कि रात में भी ठंडी हवाओं के लिए लोगों को एसी और कूलर का ही सहारा लेना पड़ेगा। रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

बीकानेर में बीते चौबीस घंटे में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। दोपहर दो बजे के आसपास पारा उच्चतम स्कोर पर पहुंचे रहा है, वहीं शाम होते-होते कुछ राहत मिलती है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा।

बीकानेर में फिलहाल किसी तरह का पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है। ऐसे में तापमान भी कम नहीं होगा। सोमवार की रात राज्य में सबसे गर्म बीकानेर में रही। जब पारा 28.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था।

टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में भीषण आग, क्षेत्र में दहशत

भीलवाड़ा । शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में स्थित कुम्भा सर्किल के निकट बस्ती के बीच संचालित टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई।

भीलवाड़ा । शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में स्थित कुम्भा सर्किल के निकट बस्ती के बीच संचालित टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई।

आग से जले टायरों से उठा धुआं देख क्षेत्र में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची 4 दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। फैक्ट्री संचालक के उदयपुर गये होने से नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री हिम्मत सिंह राठौड़ व रणजीत सिंह राठौड़ की आजाद नगर में कुंभा सर्किल क्षेत्र में सम्राट टायर के नाम से टायर रिट्रेडिंग फैक्ट्री है।

बताया गया है कि दोनों भाई मां का उपचार करवाने उदयपुर गये हुये थे। फैक्ट्री में वंकर काम कर रहे थे।

एक ही रात में चोरों ने आधा दर्जन दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की नकदी पर किया हाथ साफ

कृषि उपज मंडी समिति तथा सब्जी मंडी में संचालित दुकानों के तोड़े ताले

- सीसीटीवी कैमरे में कैद नकाबपोश चोर।**

खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों में भय का माहौल है और उन्होंने मंडी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। लगातार हो रही चोरियों से मंडी व्यवसायियों में आक्रोश है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में मंगलचंद मोतीराम फर्म के मालिक मोतीराम ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान के ताले तोड़कर 37 हजार आठ सौ रूपए चुरा ले गए। भागीरथमल मोहनलाल फर्म के राकेश सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान से 7 हजार, बालाजी फ्रूट सब्जी

मचेंट के व्यापारी खेमराज सैनी ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर 30 हजार रूपए, श्री श्याम फ्रूट कंपनी के व्यापारी सुनील ने बताया कि उसकी दुकान का ताला तोड़कर 17 हजार रूपए और व्यापारी गिरधारीलाल ने बताया कि चोरो ने उसकी दुकान में रखे गल्ले से 15 हजार रूपए चुरा लिए।

वहीं कृषि उपज मंडी समिति में स्थित अनाज व्यापारी बनवारी लाल चौधरी की दुकान से चोर करीब 40 हजार रूपए की नकदी चोरी कर ले गए। इधर चोरी की सूचना के बाद मौके पर एएसआई मालाराम, कांस्टेबल राजवीर सिंह पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

बीकानेर में कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर महिला से दुष्कर्म

- पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्पासे के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।**

बीकानेर। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने कोर्ट से इस्त्पासे के आधार पर गंगाशहर थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिवार को मकान निर्माण के लिये रुपये की जरूरत थी। महिला अपने ही समाज के अचलाराम सांसी निवासी बायतु, बिंजाराम सांसी और उसके भाई तंजाराम सांसी से मिली।

आरोप है कि रुपए देने का झांसा देकर उन्होंने महिला को जोधपुर बुलाया। वहां से उसे अहमदाबाद ले गए। जहां कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिला दिया। उसके बाद महिला के साथ दुष्कर्म

किया। इसके बाद उसे बालोतरा में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया।

पुलिस के अनुसार यह घटना पिछले साल 27 दिसम्बर से 31 दिसंबर के बीच की बताई जाती है। गंगाशहर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गफलत में मरीज के अटेंडेंट को ओ.टी. में ले जाकर लगा चीरा, मचा हड़कंप

घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है

- तीन सदस्य जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है**

इसके बाद स्टॉफ उसे अंदर ले गया और ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर लेटा दिया।

उसके हाथ में फिस्टुला बनाने के लिए चीरा भी लगा दिया गया। इसी दौरान उसके बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि यह तो उनके मरीज का अटेंडेंट है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद इस मरीज के वापस टांके लगाए गए। उसे ओटी से वापस उसके बेटे के बाई में भेज दिया। बाद में जिस मरीज का डायलिसिस फिस्टुला बना था उसका फिस्टुला बनाया गया।

जिस अटेंडर के साथ यह घटना हुई है वह पैरालाइड्ड है। वह ठीक से बोल नहीं पाता है। इसीलिए जब उससे पूछा गया तो वह कुछ भी नहीं बोल

पाया और डॉक्टर ने भी प्रोसीजर शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में भी प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है। ओटी में मरीज को ले जाने के पहले उसे ओटी की ड्रेस पहनाई जाती है लेकिन इस मरीज ने ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी। दूसरी तरफ हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाने के लिए बाल हटाए जाते हैं और सफाई की जाती है वह भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया। यह काफी छोटा प्रोसीजर था इसलिए डॉक्टर ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मामले को लेकर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्यवाहक अधीक्षक डॉ. विकास खंडेलिया का कहना है कि मरीज की जाहद दूसरे मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के संबंध को सूचना मिली है। कई तरीके की जानकारीयों सामने आ रही हैं। जांच के लिए तीन सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन

बीकानेर। यहां अवैध खनन की सूचना पर जिला कलेक्टर की ओर से गठित एएसआईटी. दल ने ग्राम झझू के पास बजरी का अवैध खनन पकड़कर 19.11 करोड़ रुपए की पेनल्टी तय की है। एसआईटी मौके पर पहुंची तो दो अलग पीटो में अवैध खनन किया जा रहा था। टीम को देख कर मौके से अवैध खनन करने वाले लोग भाग निकले। मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया ।

मौके पर कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी झझू को बुलवाया गया। दोनों अवैध खनन के पीट वाली भूमि के खातेदार उदाराम, कोजाराम, मानाराम मेघवाल, पप्पूराम सांसी, पाबूराम नायक हैं ।

मौके पर देखने पर दो एक्सकैवेटर मशीनें एवं तीन डंपरों को जब्त किया गया । मौके पर अवैध खनन का नाप किया आगे जिसके अनुसार इन दोनों पीटो से कुल 4.24 लाख टन बजरी का अवैध खनन हुआ जिसपर कुल रूपए 19.11 करोड़ की पेनल्टी तय की गई है। तहसीलदार कोलायत दोनों खातेदारी भूमियों को आराजीराज करेंगे।

बीकानेर। शहर के चौखुंटी क्षेत्र में स्थित एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से आसपास के लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि, समय रहते रिसाव को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच कर भी वापस निकल गई।

चौखुंटी क्षेत्र में नगर निगम के भंडार के पीछे रामपुरिया आइस फैक्ट्री में ये हादसा हुआ है। सुबह करीब साढ़े नौ बजे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सोच पर लोगों ने आसपास देखा तो आइस फैक्ट्री से रिसाव की

आवाज आ रही थी। यहां वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले महेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी अचानक उल्टी करने लगी तो उसे पड़ोस में रश्तेदार के घर पर छोड़ कर आया। महेंद्र के साथ कमल ने भी गैस से तबीयत खराब होने का दावा किया।

स्थानीय लोगों का दावा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति की भी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया है। फैक्ट्री संचालक की की और से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। मौके पर उपस्थित

कर्मचारियों ने माना कि रिसाव हो रहा है। क्षेत्र के लोगों ने इस बारे में सदर पुलिस को सूचना दी, पुलिस की एक गाड़ी मौके पर आई। एक पुलिस कर्मी ने फोन करने वालों को डांट लगाई कि उन्हें क्यों बुलाया है। गैस बंद करने का काम हमारा नहीं है। इसके बाद पुलिस की गाड़ी वहां से निकल गई। आसपास रहने वालों का कहना है कि इस आइस फैक्ट्री को तुरंत हटा देने चाहिए। आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। अगर अब इसे नहीं हटाय़ा तो आंदोलन किया जाएगा।

अकेले व्यक्ति के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए का मामला : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए के तहत किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ तब तक मामला नहीं चलाया जा सकता, जब तक किसी लोक सेवक की मामले में संलिप्तता या सह आरोपी की भूमिका ना हो। इसके साथ ही अदालत ने मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ एसीबी कोर्ट, जयपुर में लिंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रमोद शर्मा की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एसीबी प्रकरण में तत्कालीन भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गोड की संलिप्तता से इनकार करते हुए एफआर पेश कर चुकी है। वहीं प्रकरण में याचिकाकर्ता निजी व्यक्ति के अलावा

अन्य कोई लोक सेवक शामिल नहीं है। ऐसे में केवल एक निजी व्यक्ति के खिलाफ धारा 7ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।।

याचिका में अधिवक्ता राजेश महर्षि ने अदालत को बताया कि कोटा के उद्योग नगर थानाधिकारी चंद्रप्रकाश ने 23 जून, 2020 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने उसकी प्दोन्नित सुनिश्चित करने और उसे चहेता में शामिल करने के लिए डीआईजी लक्ष्मण गोड़ के नाम पर दस लाख रूपए मांगे। एसीबी ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 24 जून को याचिकाकर्ता को ट्रेप किया और उसकी कार से पांच लाख रूपए बरामद किए। वहीं बाद में एसीबी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7ए के

तहत आरोप पत्र पेश करते हुए डीआईजी लक्ष्मण गोड़ के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच लिंबित रखी। याचिका में कहा गया कि एसीबी ने बाद में मामले में लक्ष्मण गोड़ की भूमिका से इनकार करते हुए उन्हें क्लीन चिट देते हुए एफआर पेश कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से उसके खिलाफ लिंबित हुए अपराधिक कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा गया कि प्रकरण में लोक सेवक को क्लीन चिट दी जा चुकी है। वहीं उसके सिवाय अन्य लोक सेवक मामले में शामिल नहीं है। ऐसे में किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ धारा 7ए के तहत आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि एसीबी ने जांच के बाद याचिकाकर्ता को दोषी मानकर आरोप पत्र पेश किया था।